न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 402/2022

दायर दिनांक 01.11.2022

निर्णय दिनांक 30.01.2024

उनवान

बाबूलाल पिता रामलाल जी दरोगा, आयु वयस्क निवासी भोपालगढ, गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (मृतक) के कायम मुकाम

1. किशनलाल पिता स्व0 बाबूलाल जी दरोगा, आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ (गाडरमाला) तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. लाली देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल जी दरोगा, आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला) तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. किशन लाल पिता बद्रीलाल जी जाट, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
2. पारसमल पिता भंवरलाल जी जाट, उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
3. बद्रीलाल पिता धन्ना जी जाट उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
4. डाली पत्नी स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
5. भेरू पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
6. मुकेश पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
7. माया पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
8. रतन पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
9. रतनी पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
10. लाडू पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
11. सीमा पिता स्व0 नाना जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

बनाम: राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी पीयूष शर्मा
अप्रार्थी संख्या 02, 05, 06 08, 09, 10, 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 495 की अभिलिखित आराजियात 611 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी संख्या 01, 03, 04, 07 के विरूद्ध दिनांक 29.03.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 02, 05, 06 08, 09, 10, 11 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02, 05, 06 08, 09, 10, 11 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 495 की अभिलिखित आराजियात 611 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा